

न्यायालय तहसीलदार जालोर


सरकार बनाम मीनाजी S/o धनाजी मेघवाल
मुकदमा नं. 14/19 **RCMS-00006/2019**
धारा 91 LR ACT 1956

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

✓ पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित, पटवारी हल्का बिबलशर की रिपोर्ट अनुसार मौजा डेलदरी के खसरा नं. 1341 रकबा 0.0750 किस्म गै. भू. भा. गै. भूमि पर संवत् 2076 में कब्जा रूप में अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार गैर सायल को धारा 91 (3) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल द्वारा अपने कब्जे की वैधता में पर्याप्त समय देने के बावजूद कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं किया। अतः राज 0 भू 0 रा 0 अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से 0.0750 हैक्टर की दर 1.2 रुपये का पचास गुणा से 6.0 रुपये अक्षर 5.18 रुपये आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी हेतु लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 16.12.19 को सुनाया गया।


तहसीलदार, जालोर

तहसीलदार, जालोर